

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री दिलिप कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम, 172 अवधपुरी-1A, महेश नगर, टोंक फाटक, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण का यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री दिलिप कुमार शर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री दिलिप कुमार व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री दिलिप कुमार शर्मा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री दिलिप कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री दिलिप कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/बी-1A/कोके/या0-4072/दिलिप कुमार/18/17 दिनांक:- 20.12.18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित याचिकार्थी श्री दिलिप कुमार शर्मा, 172, अवधपुरी-1A, महेशनगर, टोंक फाटक, जयपुर (रजिस्टर्ड)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राजेश कुमार झालानी, 420 प्लॉट न. 6, श्रीरामनगर-बी, कांटा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजेश कुमार झालानी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजेश कुमार झालानी व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजेश कुमार झालानी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री राजेश कुमार झालानी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजेश कुमार झालानी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।




(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा / मा / सस्था / बी-111 / कोके / या0-4072 / दिलिप कुमार / 18 / 78 दिनांक:- 21.12.18
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री राजेश कुमार झालानी, 420 प्लॉट न. 6, श्रीरामनगर-बी, कांटा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर (रजिस्टर्ड)



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कायालय-आदेश

श्री थलराजसिंह सिसोदिया पुत्र प्रभुलाल सिसोदिया, ग्राम-छौदेल खुर्द, पोस्ट-छौदेलकला, तह0-चाकसु, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निरस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री थलराजसिंह सिसोदिया द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री थलराजसिंह सिसोदिया व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री थलराजसिंह सिसोदिया के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री थलराजसिंह सिसोदिया द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री थलराजसिंह सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निरस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/बी-III/कोके/या0-4072/दिलिप कुमार/18/79 दिनांक:- 20.12.18
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री थलराजसिंह सिसोदिया पुत्र प्रभुलाल सिसोदिया, ग्राम-छौदेल खुर्द, पोस्ट-छौदेलकला, तह0-चाकसु, जयपुर (रजिस्टर्ड)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय-आदेश

श्री प्रदीप कुमार वर्मा, प्लॉट न. सी-287, महेश नगर, टॉक फाटक, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार वर्मा व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार वर्मा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा / मा / सस्था / बी-गा / कोके / या0-4072 / दिलिप कुमार / 18 / 80 दिनांक:- 20.12.18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिसट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री प्रदीप कुमार वर्मा, प्लॉट न. सी-287, महेश नगर, टॉक फाटक, जयपुर (रजिस्टर्ड)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय-आदेश

श्री परशु राम मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना, गाँव-खाजलपुरा, तह0-चाकसू, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकाार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकाार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सरकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकाार्थी श्री परशु राम मीना द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकाार्थी श्री-परशु राम मीना व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकाार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकाार्थी श्री परशु राम मीना के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकाार्थी श्री परशु राम मीना द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकाार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाार्थी श्री परशु राम मीना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सरस्था/बी-III/कोके/या0-4072/दिलिप कुमार/18/81 दिनांक:-20.12.18
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री परशु राम मीना पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना, गाँव-खाजलपुरा, तह0-चाकसू, जयपुर (रजिस्टर्ड)



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय-आदेश

श्री सोहन लाल मीना पुत्र जगदीश प्रसाद, चन्द्रशेखर आजाद कॉलोनी, गंगापोल गेट के बाहर, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलावाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सरकार स्प्रीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री सोहन लाल मीना द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलावाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री सोहन लाल मीना व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिरस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सोहन लाल मीना के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलावाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री सोहन लाल मीना द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वारतविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सोहन लाल मीना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निरंतरण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/बी-III/कोके/या0-4072/दिलिप कुमार/18/22 दिनांक:- 20.12.18
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री सोहन लाल मीना पुत्र जगदीश प्रसाद, चन्द्रशेखर आजाद कॉलोनी, गंगापोल गेट के बाहर, जयपुर (रजिस्टर्ड)



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राम ब्याड़वाल पुत्र मगलचन्द मीना, गाँव-कुशलपुरा, पोस्ट-रायसर, त0-जमवारामगढ, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राम ब्याड़वाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राम ब्याड़वाल व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राम ब्याड़वाल के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री राम ब्याड़वाल द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राम ब्याड़वाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/सस्था/बी-गा/कोके/या0-4072/दिलिप कुमार/18/83 दिनांक:- 20.12.18
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री राम ब्याड़वाल पुत्र मगलचन्द मीना, गाँव-कुशलपुरा, पोस्ट-रायसर, त0-जमवारामगढ, जयपुर (रजिस्टर्ड)


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री कमलेश कुमार मीना पुत्र रामदयाल, प्लॉट नं.32, बुद्धविहार, रामनगरिया जगतपुरा, जयपुर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्वीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार मीना द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार मीना व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उररी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जवकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 30.06.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार मीना के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार मीना द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री कमलेश कुमार मीना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा / मा / सस्था / बी-III / कोके / या0-4072 / दिलिप कुमार / 18 / 24 दिनांक:- 20.12.16
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री कमलेश कुमार मीना पुत्र रामदयाल, प्लॉट नं.32, बुद्धविहार, रामनगरिया जगतपुरा, जयपुर (रजिस्टर्ड)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्री दसरथ सैनी पुत्र सिब्लल राम, शिव कॉलोनी मन्नाका रोड, अलवर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 4072/2018 दिलिप कुमार शर्मा व अन्य 8 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के साथ पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री दसरथ सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री दसरथ सैनी व अन्य 08 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकी याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री दसरथ सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13.09.2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री दसरथ सैनी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री दसरथ सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/बी-III/कोके/या0-4072/दिलिप कुमार/18/65 दिनांक:- 20.12.18
प्रतिलिपि सुघनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री दसरथ सैनी पुत्र सिब्लल राम, शिव कॉलोनी मन्नाका रोड, अलवर (रजिस्टर्ड)


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)